प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 13.05.2022**

थाना बडौत पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 223/24 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 331/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लुटेरों को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर एक मोटरसाईकिल तथा लूटे हुए 15000 रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनाँक 04.04.2024 को थाना बडौत पर वादी हरपाल पुत्र हरदेव निवासी बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनाँक 02.04.2024 को बावली नहर के पास मोटरसाईकिल सवार 02 लूटेरें वादी के 50000 रूपये छीनकर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनाँक 12.05.2024 को थाना बडौत पर वादी इलियास पुत्र रमजान निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो0सा0 होन्डा साईन नं0 DL5SBE3424 पर सवार 02 लूटेरों ने वादी के साथ तमन्चे की बट व लात घूँसो से मारपीट की तथा कुर्ते की जेब फाडकर उसमें रखे लगभग 14000 रूपये लुटकर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 331/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/लूटेरें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना बडौत के मु0अ0सं0 223/24 धारा 392 भादवि, मु0अ0सं0 331/24 धारा 394तथा थाना कांधला जनपद शामली के मु0अ0सं0 135/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए शातिर 02 लूटेरें अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर एक मोटरसाईकिल तथा अलग-अलग घटनाओं में लूटे हुए 15000 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लवकुश पुत्र विनोद निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-देव उर्फ काला पुत्र सतपाल निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 होन्डा साईन नं0 DL5SBE3424 ।
- लूटे हुए 15000 रूपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्तों लवकुश व देव उर्फ काला का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 223/24 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
2.मु0अ0सं0 331/24 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 135/24 धारा 392 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

पुछताछ का संक्षिप्त विवरणः-

गिरफ्तारी अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों दोस्त है तथा लवकुश की मो0सा0 होण्डा साईन नं0 DL5SBE3424 से घूम फिरकर उम्र दराज लोगों को तलाश करके उनका पीछा कर उनके साथ लुटपाट करते है। दिनाँक 02.04.2024 को बावली से बरवाला जाने वाले रास्ते पर शमशान घाट के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोककर उसके कुर्ते की जेब फाड़कर उससे 50 हजार रूपये लूटे थे। डोला नहर पटरी पर ग्राम सादुल्लापुर के पास एक फेरी वाले व्यक्ति को जबरदस्ती रोककर उसके कुर्ते की जेब फाड़कर 14 हजार रूपये लुटे थे। दिनाँक 06.05.24 को थाना कांधला क्षेत्र में ग्राम कनियान के पास नहर

पटरी पर एक साईकिल सवार व्यक्ति के सामने मो0सा0 अडाकर उसकी जेब में रखे 15500 रूपये लूट लिये थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत।
2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बडौत।
3-निरीक्षक श्री मनोज चहल प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम।
4-है0का0 216 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत।
5-है0का0 351 पवन नागर थाना बडौत।
6-है0का0 492 विनित पंवार थाना बडौत।
7-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक -13.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.05.2024 को थाना बडौत पर वादी दीपांशु पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.निखिल उर्फ कल्लू पुत्र संजीव उर्फ संजीले, 2.शोएब पुत्र दिलशाद व 3.देवा उर्फ देवेश पुत्र परविन्दर निवासीगण ग्राम बाजिदपुर थाना बडौत

जनपद बागपत ने एक राय होकर वादी व वादी के भाई धीरज उर्फ छोला पुत्र तेजपाल के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किये जिसमे गोली लगने से वादी के भाई धीरज उर्फ छोला की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.निखिल उर्फ कल्लू पुत्र संजीव उर्फ संजीले, 2.शोएब पुत्र दिलशाद ,3.देवा उर्फ देवेश पुत्र परविन्दर निवासीगण ग्राम बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत को दिनांक 02.05.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा विवेचना से अभियुक्त सौरभ पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री विकास चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 216 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।